प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–12.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **04 वाहनों से मु0– 12,00 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 21 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

02 वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 11.05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल– 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 10 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. शिवकुमार उर्फ राकेश पुत्र गया प्रसाद नि0 रामगढ़ थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–110/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध असलहे के 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. बलरामपुर पुत्र जमुना नि0 बलुआ उपाध्यायपुर ग्रण्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–108/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 11.05.2019 को उ0नि0 मानेन्द्र सिंह चौकी इंचार्ज दतौली मय हमराह फोर्स के साथ गस्त व क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक लोनियन पुरवा नहर पुलिया के पास अवैध असलहा लिए खड़ा है और कही जानें की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 मानेन्द्र सिंह मुखबिर की सूचना व निशान देही पर पहुँचकर कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना मनकापुर में अभियुक्त के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र से परासर ऋषि की चोरी हुई मूर्ति बरामद–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–85/19, धारा 457.380.411 भादवि से सम्बन्धित चोरी हुई मूर्ति को बरामद कर लिया गया।

दिनांक 07.04.2019 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के परास पट्टी मझवार से चोरो द्वारा परासर ऋषि की मूर्ति को चुराकर फरार हो गये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी अतुल सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी परास पट्टी मझवार थाना उमरीबेगमगंज द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.05.2019 को मुखबिर की सूचना पर उक्त चोरी हुई मूर्ति को पसका परसपुर नदी के किनारे बाबू की रेत से बरामद कर लिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल–11 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।